न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 36/2013 (धारा 75 राज0भू राजस्व अधि01956)(RCMS NO. 2013/00023)

1. विद्या सागर पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण | निवासी कामां तहसील
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल जाति ब्रामण | कामां जिला भरतपुर।

3. खूबी पुत्र बिहारी लाल– मृतक

3/1 हीरालाल	पिस0 खूबी	निवासीयान नई तहसील के पीछे कामां
3/2 मुरारीलाल		तहसील कामां, जिला भरतपुर।
3/3 दीनदयाल		

4. रामजीलाल पुत्र श्री बिहारीलाल– मृतक

4/1 द्वारिका प्रसाद	पिस0रामजीलाल	निवासीयान पी0डब्लू0डी0 डाक बंगले के पास
4/2 रामकिशन		कामां, तहसील कामां जिला भरतपुर।
4/3 चन्द्रप्रकाश		

5. रामफ़ल पुत्र श्री हरबक्श जाति माली | निवासीयान कस्बा कामां तहसील कामां,
6. रामसिंह पुत्र श्री हरबक्श जाति माली | जिला भरतपुर।
7. गुल्ली पुत्र मंगू जाति ब्राहमण

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री गोविन्ददेव जी जरिये अंजन कुमार गोस्वामी पुत्र स्व0 श्री प्रद्युमन कुमार गोस्वामी बंगाली ब्राहमण निवासी 303, परशुराम मार्ग, कवास जी का रास्ता जयपुर । महन्त सेवायत मन्दिर श्री गोविन्ददेव जी महाराज (जयपुर कामां)
2. तहसीलदार जी कामां तहसील कामां जिला भरतपुर ।

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कामां दिनांक 19.8.2013 प्रकरण संख्या 1/2012 अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट व सिलसिले नामान्तरकरण सं0 1439 दिनांक 13.1.2004

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद वकील अपीलान्ट।
2. श्री श्याम बाबू पारिक वकील रैस्पोडेन्ट।
3. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य

दिनांकः 19.7.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम तहसीलदार कामां के निर्णय दिनांक 19.8.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकरण संख्या 1439 दिनांक 13.1.2004 को अपीलान्टस के बजाय जरिये आदेश जिला कलक्टर भरतपुर की आज्ञा पत्र क्रमांक राजस्व/12/12 (34/03) 1734–52 दिनांक 30.3.2003, देवस्थान विभाग के शासन सचिव की आज्ञा दिनांक 6.3.2003 व मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 15.3.2003 की अनुपालना में रैस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत किया गया था। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील अपीलान्टस की ओर से अतिरिक्त कलक्टर डीग के समक्ष पेश की गई । अतिरिक्त कलक्टर डीग ने अपने निर्णय दिनांक 14.3.2012 से सुनवाई न किये जाने को आधार बनाया जाकर प्रकरण को तहसीलदार कामां के लिये पक्षकारान की समुचित सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। अनुपालना में तहसीलदार कामां ने निर्णय दिनांक 5.6.2013 के जरिये नामान्तरकरण संख्या 1439 को शून्य करार दे दिया गया । इस आज्ञा से व्यथित रैस्पोडेन्ट ने तहतसीलदार कामां के समक्ष प्रार्थना पत्र नजरसानी अंतर्गत धारा 86 लैण्ड रेवन्यु एक्ट पेश कर निर्णय दिनांक 5.6.2013 को निरस्त कर भूमि मंदिर/रैस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने की आज्ञा चाही गई। तदोपरान्त तहसीलदार कामां द्वारा प्रकरण संख्या 1/2012/एलआर/ मूर्ति मंदिर गोविन्द देव जी बनाम भुल्ली, रामफूल वगैरह दर्ज कर उभयपक्ष की सुनवाई उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2013 पारित किया गया जिसमें नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया किया जाकर आदेश दिनांक 5.6.2013 को अपास्त किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 1439 दिनांक 13.1.2004 कायम रखा गया । तहसीलदार कामां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.8.2013 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित आराजी कुल किता–31 रकबा 40 बीघा 4 विस्बा कस्बा कामां संख्या 1 व 3 तहसील कामां जिला भरतपुर में स्थित है उक्त भूमि पर अपीलान्टस बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। यह कि तहसीलदार कामां द्वारा आदेश दिनांक 13.1.2004 के जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1439 दिनांक 13.1.2004 को अपीलान्टस के बजाय जरिये आदेश जिला कलक्टर भरतपुर की आज्ञा पत्र क्रमांक राजस्व/12/12 (34/03) 1734–52 दिनांक 30.3.2003, देवस्थान विभाग के शासन सचिव की आज्ञा दिनांक 6.3.2003 व मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 15.3.2003 का हवाला देते हुये रैस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण 1439 दिनांक 13.1.2004 के विरूद्ध

अपीलान्टस की ओर से अतिरिक्त कलक्टर डीग के समक्ष पेश अपील की गई । अतिरिक्त कलक्टर डीग ने अपने निर्णय दिनांक 14.3.2012 से पक्षकारान की विधिवत सुनवाई न किया जाना एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की सरासर अवहेलना मानते हुये प्रकरण को तहसीलदार कामां के लिये पक्षकारान की समुचित सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार कामां ने रिमाण्ड प्रकरण में न्यायसंगत सुनवाई न करते हुये विधि विरूद्ध तरीके से मौके एवं रिकार्ड के विपरीत मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। यह कि उक्त प्रकरण में दिनांक 13.1.2004 को जो आवेदन पत्र रैस्पो0–1 की ओर से प्रस्तुत किया गया था, उस आवेदन में यह अंकित किया गया था कि भूमि मूर्ति मंदिर की है एवं उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जावे। इस आधार पर एक रैफरेंस श्रीमान अति0 जिला कलक्टर डीग के समक्ष रैफरेंस संख्या 43/2001 राज0 सरकार बनाम खूबीराम वगैरह में अति0 कलक्टर डीग द्वारा दिनांक 17.7.2002 को खारिज कर दिया था निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि नामा0 सं0 631 एवं 832 दिनांक 16.6.1960 तहसीलदार कामां द्वारा स्वीकार किये गये है क्यों कि उक्त दोनों नामान्तरकरण श्रीमान कमिश्नर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक 10 एल आर/57–59 पार्ट द्वितीय दिनांक 29.2.1960 की पालना में तहसीलदार कामां द्वारा स्वीकृत किये गये है चूंकि श्रीमान कमिश्नर महोदय अजमेर का आदेश दिनांक 29.2.1960 आज भी प्रभावशील है जिसे आदिनांक तक किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है इसलिऐ अतिरिक्त कलक्टर डीग द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.7.2002 से रैफरेंस खारिज कर दिया गया। इस निर्णय को प्रभावित करने की नियत से रैस्पोडेन्ट ने पुनः दिनांक 13.1.2004 को आवेदन किया और उसे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1439 स्वीकृत किया। जिसे अपीलान्ट की ओर से एडीएम डीग के समक्ष चुनौती दी गई तो अतिरिक्त कलक्टर डीग द्वारा निर्णय दिनांक 14.3.2012 से अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार कामां के लिये प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया । तहसीलदार कामां ने रिमाण्ड प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर दिनांक 5.6.2013 को निर्णय पारित करते हुये यह स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राज0 सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 24.5.2007 के परिपेक्ष्य में मंदिर माफी की भूमि के संबध में यह उल्लेख है कि'' तत्समय जिन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिल गये एवं निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनके अधिकारों की भूमि को पुनः मंदिर के नाम नहीं किया जावे एवं काश्तकारों के नामों को राजस्व रिकार्ड से विलोपित नहीं किया जावे'' और नामान्तरकरण संख्या 1439 को शून्य करार दे दिया गया था। लेकिन रैस्पोडेन्ट के नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 एल आर एक्ट पर तहसीलदार कामां द्वारा विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2013 पारित करते हुये स्वयं के निर्णय दिनांक 5.6. 2013 को अपास्त कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1439 दिनांक 13.1.2004 को कायम रखा गया है साथ ही राजस्व रिकार्ड से मौजूदा अपीलान्टस के इन्द्राज को हटाया जाकर मूर्ति

मंदिर गोविन्द देव जी कामां के नाम अंकित किये जाने की आज्ञा दी है जो कतई न्यायोचत नहीं है। क्यों कि नजरसानी वही व्यक्ति पेश कर सकता है जो प्रकरण में पक्षकार हो। भूमि मंदिर मूर्ति की थी लेकिन मंदर का कोई कब्जा नहीं रहा है। वरवक्त सैटिलमेन्ट सम्वत 2012 में अपीलान्ट को खातेदारी प्राप्त हुई है। जो नियमानुसार है उसे निरस्त करने का तहसीलदार को कोई हक नहीं है। अपीलान्ट्स को कमिश्नर साहब अजमेर ने दिनांक 29.2.1960 को खातेदारी दी है जिसे रैस्पोडेन्ट ने आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी है ऐसी स्थिति में कमिश्नर साहब अजमेर का आदेश दिनांक 29.2.1960 आज भी आस्तित्व में इसलिऐ अपीलधीन आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपसीत है। क्यों कि दौराने पारित अपीलाधीन आदेश तहत अदालत ने न तो श्रीमान कमिश्नर महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 29.2.1960 पर गौर किया और न ही अति0 कलक्टर डीग द्वारा पारित निर्णय 17.7.2002 (जिसमें रैफरेंस खारिज किया गया था) पर ही कोई गौर किया गया। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट की ओर से एक दावा भी अंतर्गत धारा 188 आर टी एक्ट उपजिला कलक्टर पदेन सहायक कलक्टर कामां के समक्ष पेश किया गया था जिसमें उनका पक्ष कमजोर होने की बजह से दिनांक 17.12.2018 को विड्रो कर लिया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 19.8.2013 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1439 दिनांक 13.1.2004 निरस्त किया जावे व इसके पूर्ववत इन्द्राजात को यथावत रखा जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत तहसीलदार कामां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही रिकार्ड के अनुरूप अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि नामान्तरकरण संख्या 1439 दिनांक 13.1.2004 आदेश जिला कलक्टर भरतपुर की आज्ञा पत्र कमांक राजस्व/12/12 (34/03) 1734–52 दिनांक 30.3.2003, देवस्थान विभाग के शासन सचिव की आज्ञा दिनांक 6.3.2003 व मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 15.3.2003 की अनुपालना में रैस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्ध नहीं कहा जा सकता क्यों कि न तो उक्त आदेश अभी तक चेलेन्ज किये गये है और न ही किसी सक्षम अदालत ने इनको अपास्त किया गया है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 1439 दिनांक 13.1.2004 को विधि विरूद्ध कहा जाना तर्क संगत नहीं रहता है। अपीलान्ट जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के समय विवादित भूमि के न तो खातेदार थे, न पट्टेदार थे, और न ही खादिमदार थे ऐसी स्थिति में तथाकथित परिपत्र दिनांक 24.5.2007 का सहारा लिया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। यह निश्चित है कि भूमि मंदिर की भूमि है और राजस्व रिकार्ड में मंदिर के नाम ही है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है व देय अधिकार धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरीत है। इसके अलावा श्रीमान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कमिश्नर साहब अजमेर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 29.2.1960 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 व 15 के विपरीत ही है एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा देय खातेदारी अधिकार क्षेत्राधिकार से बाहर है। वास्तव में विवादित भूमि मंदिर की भूमि ही थी सम्वत 2012 में गलत रूप से खातेदारी मिली क्यों कि सैटिलमेन्ट विभाग को खातेदारी अधिकार देने का अधिकार ही नहीं है। सैटिलमेन्ट विभाग केवल पूर्व के इन्द्राजात को ही दोहरा सकते है। खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत ही प्रदान किये जा सकते है अन्यथा किसी भी सूरत में किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। इस प्रकरण में आर0टी0एक्ट की धारा 15 व 19 के तहत अपीलान्ट को कभी भी खातेदारी अधिकार नहीं मिले है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15.10.1955 से प्रभाव में आया व धारा 46 के तहत कोई अधिकार नहीं थे। इसलिऐ भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दी गई क्षेत्राधिकार से बाहर खातेदारी अधिकार कोई मायने नहीं रखते है। वकील अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि जागीर रिजम्सन एक्ट 1952 की धारा 9 के अनुसार मंदिर की भूमि को किसी को ट्रान्सफर नही किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील निराधार मौके एवं रिकार्ड के विपरीत है। अपीलान्ट के मंदिर की जमीन पर कोई हक हकूक नहीं है यह राजस्व रिकार्ड से बखूबी प्रमाणित होता है। इस तरह विधि–विरूद्ध तरीके से आड लेकर मूर्ति मंदिर की आराजी को खुर्द बुर्द किया जाना अथवा अपने नाम खातेदारी दर्ज करा लेना इस तरह की कुटिल कार्यवाहीयां ध्यान में आते ही सदैव दुरूस्त किये जाने योग्य ही रहती है। तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट किया है कि ''जब कभी राजस्व न्यायालयों की जानकारी में ऐसे अवैध आदेश आते है, तो राजस्व न्यायालय का यह कर्तव्य भी बन जाता है कि मंदिर की भूमि को अपने नाम कराकर पुजारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को ऐसा करने से रोका जावे व मंदिर की भूमि की रक्षा की जावे'' ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय तहसीलदार कामां द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये मौका एवं रिकार्ड के अनुरूप अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2013 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्षों की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में रहते हुये 75 एल0आर0एक्ट के अतर्गत नामान्तरकरण की प्रथम अपील में खातेदारी हक–हकूकों की विवेचना न करते हुये केवल नामान्तरकरण की वैद्यता पर ही विचार किया जाना है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1439 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण जिला कलक्टर भरतपुर की आज्ञा क्रमांक राजस्व/12/12 (34/03) 1734–52 दिनांक 30.3.2003, देवस्थान विभाग के शासन सचिव की आज्ञा दिनांक 6.3.2003 व मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 15.3. 2003 की अनुपालना में रैस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत किया गया है अर्थात परीक्षण न्यायालय

Web Copy - Not Official

द्वारा हुक्मन आदेश की पालना में यह नामान्तरकरण खोला गया है जो विधि विरूद्ध नहीं कहा जा सकता क्यों कि रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मूर्ति मंदिर गोविन्द देव विराजमान कामां की आराजी है। राजस्व नियमों में मंदिर मूर्ति को शास्वत अव्यस्क माना गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 सपठित धारा 5 (25) के अनुसार मंदिर मूर्ति की भूमि को किसी अन्य की खातेदारी में नामान्तरित नहीं किया जा सकता है। वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2005 आर0आर0डी0 पेज नं0 318 के पैरा 8 का हवाला देते हुये कथन किया कि '' जब कभी राजस्व न्यायालयों की जानकारी में ऐसे अवैध आदेश आते है, तो राजस्व न्यायालय का यह कर्तव्य भी बन जाता है कि मंदिर की भूमि को अपने नाम करा कर पुजारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को ऐसा करने से रोका जावे व मंदिर की भूमि की रक्षा की जावे'' जिससे हम सहमत रहते है। इसके अलावा जागीर रिजम्सन एक्ट 1952 की धारा 9 के अनुसार मंदिर की भूमि को किसी को ट्रान्सफर नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय तहसीलदार कामां ने हुक्मन आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण 1439 स्वीकृत किया गया है लिहाजा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2013 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रृटी नहीं पाते है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार कामां का निर्णय दिनांक 19.8.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official